कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक सहिया(देहरादून)

//सूचना//

समस्त अल्पसंख्यक छात्रो को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं मेरिट कम–मीन्स,आधारित छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचत छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन,बौद्व,सिक्क,मुस्लिम,ईसाई) से संबन्धित छात्र अखवार की विज्ञप्ति के आधार पर www.scholarships.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आरम्भ किये जाने की तिथि दिनॉक 16 अगस्त 2020 से तथा ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी है।

अतः सभी पात्र छात्र/छात्रायें निर्धारित समय में आवेदन भर कर संस्था में जमा कराना सुनिश्चित करें। छात्र संस्था की वेवसाइट www.gpsahiya.org.in से भी विज्ञप्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

भवदीय

(एच0वी0शर्मा)

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक

21/08/20

पत्रांक-317-18/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनॉक– 26.08.2020

प्रतिलिपि–

1– सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2– संस्थागत वेवसाइट।

21/08/20

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड

शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून

Phone 0135-2780122 Email: dir-mwd-uk@gov.in

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक पूर्वदशम्/दशमोत्तर एवं मेरिट कम-मीन्स, छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2020-21

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित **पूर्वदशम्, दशमोत्तर एवं मेरिट कम-मीन्स**, आधारित छात्रवृति के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों से www.scholarships.gov.in पोर्टल पर दिनांक 16 अगस्त, 2020 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जाने से संबंधित समय-सीमा निम्नवत हैः-

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्ति आवेदन के लिए कक्षा का स्तर	ऑनलाइन आवेदन आरम्भ किया जाने की तिथि	ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अतिम तिथि
पूर्वदशम छात्रवृत्ति	कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं हेतु।	16 अगस्त 2020	31 अक्टूबर, 2020
दशमोत्तर छात्रवृत्ति	कक्षा 11 से 12 तक स्नातक, परास्नातक, आई.टी.आई., डिप्लोमा, बी.एड. एवं पी.एच.डी. हेतु।	16 अगस्त 2020	31 अक्टूबर, 2020
मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स हेतु	16 अगस्त 2020	31 अक्टूबर, 2020

पात्रता सम्बन्धी मानदण्डः-

1. ऐसे छात्र/छात्राएं, जो भारत के नागरिक और उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हो तथा उत्तराखण्ड राज्य या भारत के किस भी अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/ गैर सरकारी संस्थान से संचालित शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत हों।
2. छात्र/छात्राओं द्वारा अन्तिम परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
3. एक परिवार से मात्र 02 छात्र/छात्राओ को ही छात्रवृत्ति मान्य होगी।
4. छात्र/छात्राओं के पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य किया गया है, आधार कार्ड न होने की स्थिति में 1- **बैंक एकाउंट खाता, फोटो के साथ 2- राशन कार्ड, पेन कार्ड, 3- पासपोर्ट, 4- ड्राईविंग लाइसेंस 5- स्कूल/प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र** आदि की पहचान के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं।
5. इन छात्रवृत्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. पूर्वदशम छात्रवृति हेतु अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.00 लाख, दशमोत्तर योजना हेतु ₹ 2.00 लाख वार्षिक एवं मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2.50 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गयी है।
7. आवेदक के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो (संलग्न/अपलोड) किया जाना अनिवार्य है।

आवेदन हेतु सामान्य नियमः

(क)- आवेदक के लिए:-

1. अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन वेबसाईट www.scholarships.gov.in पर अथवा मोबाइल ऐप National Scholarship (NSP) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।
2. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। छात्रवृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट www.scholarships.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं।
3. अभ्यर्थी द्वारा अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक ब्रान्च का पता एवं कोड दूरभाष नम्बर, ई-मेल आदि की जानकारी सही रूप से ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करते हुए उपलब्ध करायी जायेगी ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
4. छात्रवृत्ति योजनाएं पूर्णतः ऑनलाईन हैं। किसी भी दशा में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा (1-10) योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं का स्वयं अथवा माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के CBS Branch में होना आवश्यक है।
6. अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं का स्वयं का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के CBS Branch में होना आवश्यक है, जो कि आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। खाता संख्या एवं IFSC कोड संख्या गलत होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप आवेदन निरस्त हो जायेगा।
7. छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने हेतु लाभार्थियों का खाता Operational/Active होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष नोटः-

● यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित की जायेगी अथवा वांछित अभिलेख अपलोड नहीं कराये जायेंगे, तो इसके लिए अभ्यर्थी/संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। त्रुटि सुधार हेतु निदेशालय/जनपद स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, और न ही इस संबंध में अभ्यर्थी से कोई पत्राचार किया जायेगा। ● आवेदक को यह भी सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपनी सुविधा के लिए वेबसाइड के होमपेज पर उपलब्ध FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) अच्छी तरह देख लें। ● यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासन का अथवा छात्रवृति की कोई अन्य नियम व शर्त का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार/राज्य प्रशासन सीधे सम्बन्धित छात्र की छात्रवृत्ति निलम्बित या रद्द कर सकता है। ● यदि कोई छात्र/छात्रा गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जायेगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि का संबंधित राज्य सरकार/प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जायेगा। ● यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के माध्यम से छात्रवृति आवेदन हेतु किसी प्रकार के शुल्क की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध प्रकरण संज्ञान में आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ख) :- **विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों हेतु सूचना-**

1. **शैक्षिणिक संस्थान को पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया:-** मान्यता प्राप्त School/College/Institution Scholarship पोर्टल पर पंजीकृत किये जाने हेतु Valid AISHE/DISE/NCTVT/SCVT कोड के साथ http://www.scholarships.gov.in/ पर अपने संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए यदि संस्थान पोर्टल पर उपलब्ध हो तो उसे NSP पोर्टल पर जोड़े जाने हेतु राज्य/जनपद स्तर पर नियमानुसार आवेदन करेंगे।
2. **शैक्षिणिक संस्थान में नोडल अधिकारी नामित किये जाने की प्रक्रियाः-** वितीय वर्ष 2020-21 हेतु मान्यता प्राप्त School/College/Institution/ Madarsa को स्कालरशिप पोर्टल पर पंजीकृत किये जाने हेतु संस्थन के प्रमुख/प्रधानाचार्य भारत सरकार की वेबसाइट http:// www.scholarships.gov.in/ पर Institute Login पर दिये गये Operational Manual के अनुसार रजिस्ट्रेशन Form download करने के उपरान्त निर्देशानुसार भरकर राज्य/जनपद कार्यालय पर समयानुसार जमा करेंगे।
3. **शैक्षिणिक संस्थानों द्वारा छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन किये की प्रक्रियाः-** वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु शैक्षिणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क (एडमिशन शुल्क, ट्यूशन फीस एवं अन्य शुल्क) को अपने Profile Section में जाकर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे स्कूटनी के समय शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन में भी अपडेट किया जा सकता है।
4. **शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सत्यापित किये जाने की प्रक्रियाः-** विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/महाविद्यालयों/मदरसों दिये गये समय-सीमा के अनुसार आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे एवं छात्र/छात्राओं की सत्यापित सूची राज्य/जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक जमा की जायेगी।

नोटः- ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना के संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय दूरभाष नं. 0135-2780122 पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं।

सुरेश चन्द्र जोशी, निदेशक